न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला शाहपुरा (राज.)

प्रकरण संख्या – 146/2022 पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 श्रीमती कान्ता देवी पत्नि बनवारी लाल माहेश्वरी उम्र वयस्क निवासी अनमोल सोसायटी बिल्डीग नम्बर 5 फलेट नम्बर 402 अंधेरी कुर्ला पूर्व तहसील फूलियाकला जिला. शाहपुरा

——(प्रार्थीया)

बनाम

1 रघुनाथ पिता पीरू बैरवा उम्र वयस्क निवासी साखलिया तहसील फुलियाकलां जिला शाहपुरा
2 महावीर पिता उकार गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डेलास का खेडा तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा
3 मेवा पिता उकार गुर्जर उम्र वयस्क निवासी डेलास का खेडा तहसील फुलियाकला जिला शाहपुरा
4 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला शाहपुरा

———(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता––– श्री विजय पाराशर

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय

दिनांक – 15.03.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनाक 26.08.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकलां भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 125 के आ.न. 5400 रकबा 0.36 हैक्टयर, भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसीगण/सहखातेदारान है। प्रार्थी एव विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा सबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 08.09.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणो को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है। अत प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित मे स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कनेछनकलां पटवार मण्डल कनेछनकला भू.अ.नि. कनेछनकलां तहसील फुलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 125 के आ.न. 5400 रकबा 0.36 हैक्टयर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक कनेछनकला को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एव तिथि बाबत सूचित करेगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा मे तथा मौके पर खडी फसल होने की स्थिति मे पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी मे ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनाक 15.03.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकला जिला शाहपुरा